

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5551
27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जेएसवाई के अंतर्गत संस्थागत प्रसव को शामिल किया जाना

5551. श्रीमती डिम्पल यादव:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में दीर्घकाल से मिल रही केंद्रीय सहायता के बावजूद जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत संस्थागत प्रसव की दर लगभग 62 प्रतिशत पर स्थिर है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस समस्या का समाधान करने के लिए स्थापित जिला स्तरीय जवाबदेही तंत्र क्या है;
- (ग) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) के बाद मैनपुरी में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की मौजूदा स्थिति क्या है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और एनीमिया मुक्त भारत (एमबी) अभियान के कार्यान्वयन के बावजूद इसकी उच्च दर के क्या कारण हैं;
- (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयरन-फोलिक एसिड (आईएफए) की गोलियों और फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति, उपयोग और लंबित मांग का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा आपूर्ति अंतर को पाटने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं; और
- (ङ) इस संबंध में व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण प्रक्रिया (बीसीसी), जागरूकता अभियानों, की गई स्वतंत्र संपरीक्षाओं और गैर-निष्पादित अभिकरणों/अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में संस्थागत प्रसव का कवरेज वित्त वर्ष 2024-25 में 79% और चालू वित्त वर्ष 2025-26 (अनंतिम - फरवरी, 2026 तक) में 82% बताया गया है।

(ग) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (2019-21) के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में 15-49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया का प्रसार 57.8% है और बच्चों में यह प्रसार 70.7% है।

(घ) स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में सभी आयु वर्ग की महिलाओं और 6-59 माह की आयु के बच्चों में आयरन फोलिक एसिड कवरेज का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) अभियान का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से धनराशि अनुमोदित की जाती है। इसके अतिरिक्त, एनीमिया को नियंत्रित करने के हस्तक्षेपों में डिजिटल हस्तक्षेप, सक्रिय समीक्षा और एनीमिया से पीड़ित लाभार्थियों की निगरानी, क्षेत्रीय स्तर पर आशा कर्मियों और एएनएम द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई और आईईसी गतिविधियां शामिल हैं। समग्र देश में पोषण संबंधी हस्तक्षेपों में सहायता करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए नियमित राष्ट्रीय स्तर की समीक्षाएं, सहायक पर्यवेक्षण दौरे और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त समीक्षा मिशन आयोजित किए जाते हैं।

गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी) और किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) के तहत, उपभोक्ता कार्य के मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामान्य चावल के बदले फोर्टिफाइड चावल आवंटित किया जा रहा है। इससे महिलाओं और बच्चों में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कुपोषण और एनीमिया का मुकाबला करने में मदद मिलती है। भारत सरकार ने विभिन्न केंद्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाओं को शामिल करते हुए, चावल फोर्टिफिकेशन पहल को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया है।

- चरण I (2021-22): इसमें एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) शामिल थे, जिसके तहत लगभग 17.51 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल लिया गया।

- चरण II (2022-23): इसमें चरण एक के साथ-साथ 291 आकांक्षी और उच्च बोझ वाले जिलों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) शामिल थी, जिसके तहत लगभग 136 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल लिया गया।

- चरण III (2023-24): चरण II के साथ-साथ देश के शेष जिलों में टीपीडीएस के अंतर्गत लगभग 322 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल वितरण किया गया।

(ड) सरकार जनसंचार माध्यमों सहित सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) और व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण प्रक्रिया (बीसीसी) रणनीतियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाती है और महिलाओं को योजना के लाभों और पात्रता के बारे में सूचित करने के लिए रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया और स्थानीय भाषाओं का उपयोग करते हुए बहु-चैनल संप्रेषण अभियान चलाती है। मापनीय परिणाम सेवा उपयोग में वृद्धि और संस्थागत प्रसव में सुधार हैं।

योजना के कार्यान्वयन की निगरानी आवधिक क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्र भ्रमण, पीआईपी मूल्यांकन, मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) और सामान्य समीक्षा मिशनों (सीआरएम) के आयोजन द्वारा की जाती है।

दिनांक 27.03.2026 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5551 के भाग (घ) के उत्तर में
संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के लिए आयरन फोलिक एसिड की कवरेज का विवरण				
क्रम संख्या	भारत	आयरन फोलिक एसिड की कवरेज वित्तीय वर्ष 2023-2024 (%)	वित्तीय वर्ष 2024- 2025 के लिए आयरन फोलिक एसिड की कवरेज (%)	वित्तीय वर्ष 2025- 2026 के लिए आयरन फोलिक एसिड की कवरेज (दिसंबर, तीसरी तिमाही तक) (%)
1	6-59 माह के बच्चे	39.3%	45.1%	46.9%
2	गर्भवती महिलाएं	95%	95%	95%
3	स्तनपान कराने वाली माताएं	65.5%	71.6%	70.9%

स्रोत: स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस)
